निर्णय

दिनांक 13-6-2017

आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पलखड़ी मे पेश हुई। वादी ने एक वाद इस आशय का पेश किया कि आराजी ख.नं. 313 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल ख.नं. 576/0.71, 577/0.48 व 580/0.24 हैक्टर बने है। जो वाके ग्राम ~~[illegible]~~ पलखड़ी तह. अलवर मे स्थित है। जिस आराजीयात मे वादी व प्रतिवादीगण के पति/पिता बसीर पुत्र गूमला का 1/2 हिस्सा निहित था, जो आराजी वर्तमान वाद पत्र मे विवादित है। जिसमे वादी 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कार्य कर रहा है। बसीर पुत्र गूगला के फौत हो जाने के कारण विवादित आराजी का इन्तकाल सं. 20 दिनांक 01-8-1997 को बसीर पुत्र गूमला के वारिसो पत्नी सेमली, पुत्र रसीद मोहम्मद, रज्जाक व [illegible] व पुत्रियान मजीदन, हुसैनी, जोरकी, मैमना, बल्लो, फरमीना आदि के नाम दर्ज किया गया परन्तु बाद मे बसीर की समस्त पुत्रियान ने अपने पिता की जायदाद मे हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया, जिस इन्तकाल का इन्द्राज सम्वत 2055 मे आगामी सम्वत 2055 की जमाबंदी मे इन्तकाल

तारीख हुक्म	2 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संख्या 20 का अमल करते हुए बसीर पुत्र शुगला के वारिसो के नाम $2/3$ हिस्से का इन्तकाल दर्ज किया गया तथा $1/3$ हिस्से का इन्तकाल मामराज पुत्र रुडा के नाम दर्ज किया गया। तथा सम्वत 2055 की जमाबंदी में उक्त इन्द्राज को काटते हुए बसीर पुत्र शुगला का हिस्सा $1/2$ दर्ज कर दिया बसीर के मौत होने के पश्चात जो इन्तकाल सं 20 दर्ज किया गया उसका इन्द्राज पुनः जमाबन्दी से हटा दिया गया। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2063 मे भी बसीर पुत्र शुगला का नाम दर्ज रहा है। ~~है~~ इस सम्वत की जमाबन्दी मे उक्त इन्तकाल का इन्द्राज करते हुए उक्त आराजी ख.नं 576, 577, 580 मे सौमतो पत्नी बसीर व सहीक मोहम्मद पुत्र बसीर हि $2/3$ दर $1/2$ दर्ज किया गया जबकि भिन वादी जो कि मृतक बसीर पुत्र शुगला का कानूनी वारिस है वादी का विवादित आराजी मे $1/3$ हिस्सा निहित है तथा भिन वादी विवादित आराजी के $1/3$ हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अतः उक्त विवादित आराजी मे वादी का $1/3$ हिस्सा दर्ज किया जावे।

~~पक्ष~~ आज कैम्प कोर्ट मे प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी रूजदार व रुदार का हिस्सा की आराजी का रिकॉर्ड मे अमल किया जाता है तो हमारी पूर्ण सहमति है। और किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। रूजदार मेरा बड़ा भाई है, जिसका रिकॉर्ड मे गलती से नाम रह गया। अब यदि रूजदार का ~~नाम~~ नाम सह खातेदार के रूप मे दर्ज किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ना ही भविष्य मे मैं कोई कार्यवाही करूगा। मजमे आम ने बताया कि बसीर पुत्र शूगला फकीर फौत हो चुका है। इसके रूजदार तथा सहीक मोहम्मद दो पुत्र है ग्राम पलखडी मे बसीर

सहायक कलक्टर
अलवर

तारीख हुक्म	3 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की खातेदारी ख०न० 576/0.71, 577/0.48, 580/0.24 किता 3 रकबा 1-43 मे हिस्सा 1/2 था जो ~~[illegible]~~ वर्तमान मे सेमली पत्नी बशीर सद्दीक मोहम्मद पुत्र बशीर के नाम दर्ज है। इसमें बशीर के एक पुत्र रूजदार का नाम नामान्तरकरण विरासत का अमल करते समय छूट गया था। मजमे आम में सभी उप० लोगो ने बताया कि बशीर के वास्तविकता मे दो पुत्र रूजदार एवं सद्दीक मोहम्मद इसलिए रूजदार का नाम वर्तमान जमाबन्दी मे इसकी मां तथा भाई के साथ जमाबन्दी को जोड़ना सही है। इस कार्यवाही से एक गरीब व्यक्ति को न्याय मिलेगा। हमने पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 1-8-97 का आद्योपान्त अवलोकन किया, जिसमे वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल करते हुए छूट गया। प्रतिवादीगण नं. 1 वादी की मॉ, नम्बर 2 इसका छोटा भाई ने राजीनामा प्र-पत्र मे गलती से बड़े भाई रूजदार का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने हेतु सहमती पेश की। तथा मजमे आम मे भी सहमती दी गई है। अत: वादी का नाम डिक्री किया जाना उचित समझते है अत: वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि ग्राम पलखड़ी तह० जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 576/0.71, 577/0.48, 580/0.24 कुल किता 3 कुल रकबा 1-43 हैक्टर मे सेमली पत्नी बशीर, सद्दीक मोहम्मद पुत्र बशीर, रूजदार पुत्र बशीर का 1/2 का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे [signature] सहायक कलक्टर अलवर [signature] सेवानिवृत तहसीलदार बैंच सदस्य	